खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

विभागीय अपील

श्री अजीत कुमार बनाम बिहार सरकार

आदेश

अपीलार्थी श्री अजीत कुमार उपस्थित।

13.07.2026

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि के रूप में
अवर सचिव श्री अमित रंजन उपस्थित

श्री अजीत कुमार, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, रुन्नीसैदपुर, सीतामढ़ी सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, मशरख, सारण (छपरा) के द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–4402/खाद्य, पटना दिनांक–21.10.2021 द्वारा संसूचित दण्ड आदेश के विरूद्ध बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का संकल्प ज्ञापांक–1025/पटना, दिनांक–28.03. 2007 में वर्णित प्रावधान के तहत अपील अभ्यावेदन दायर किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि तत्कालीन सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा दिनांक–22.11.2018 को किये गये जांच के उपरांत आरोप पत्र गठित किया गया था। तत्पश्चात् पुनः जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के द्वारा उनके विरूद्ध पाँच बिन्दुओं पर आरोप पत्र गठित कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु विभाग को भेजा गया, जिसे पूरक आरोप के रूप में स्वीकृत करते हुए आरोपी पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। आरोप के बिन्दु निम्न प्रकार हैं :–

1. जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा खाद्यान्न की उपलब्धता के बावजूद सांठ–गांठ कर लाभुकों के बीच खाद्यान्न वितरण नहीं किया जाना।
2. जन वितरण प्रणाली दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण नहीं किया जाना।
3. कार्य में लापरवाही तथा
4. विभागीय निदेश की अवहेलना।

उक्त बिन्दुओं पर संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरांत अपीलार्थी पदाधिकारी को दोषमुक्त किया गया। तत्पश्चात् विभाग के स्तर पर जाँच प्रतिवेदन की पुनः समीक्षा की गई जिसमें आरोपी पदाधिकारी को सभी आरोप प्रमाणित पाये जाने के आधार पर दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की गयी।

अपीलार्थी के अपील अभ्यावेदन तथा अभिलेख में उपलब्ध जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया एवं अपीलार्थी के बचाव पक्ष को भी सुना गया।

तत्कालीन सचिव द्वारा दिनांक–22.11.2018 को किये गये निरीक्षण के क्रम में कई लाभार्थियों द्वारा खाद्यान्न नहीं दिये जाने की बात कहीं गयी, जो अभिलेखबद्ध भी है। इस विषय पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा यह कहना है कि उनका पदस्थापन माह नवम्बर–2017 में हुआ था। जबकि निरीक्षण में जून–जुलाई–2017 माह में खाद्यान्न वितरण नहीं होने के संबंध में शिकायत की गयी थी। उनका यह भी कहना है कि श्री विष्णुदेव ढांगर, जन वितरण प्रणाली विक्रेता के 1000 (एक हजार) लाभुकों में से मात्र 11 (ग्यारह) उपभोक्ताओं द्वारा यह शिकायत की गयी।

आरोप पत्र एवं संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्त्ताओं द्वारा केवल जून–जुलाई 2017 ही नहीं बल्कि माह जुलाई–2018 एवं सितंबर–अक्टूबर–2018 में भी खाद्यान्न नहीं मिलने का बयान दिया गया था। साथ ही आरोपी पदाधिकारी का आगे कहना है कि निरीक्षण में 11 (ग्यारह) लाभार्थियों को अनाज नहीं मिलने की शिकायत पर यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रश्नगत जन वितरण प्रणाली विक्रेता के शेष 1000 (एक हजार) लाभुकों को भी खाद्यान्न नहीं मिला, तार्किंत एवं पोषणीय नहीं है। यह कथन सरकारी सेवकों के आचरण के प्रतिकूल एवं अशोभनीय भी है, क्योंकि पी०डी०एस० योजना का मूल उद्देश्य सतत् एवं समावेशी रूप से पात्र लाभुकों को बिना किसी भेदभाव के अनुमान्य खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।

आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध दूसरा आरोप है कि उनके द्वारा जन वितरण प्रणाली के दुकानों का समय–समय पर निरीक्षण नहीं किया गया। श्री विष्णुदेव ढांगर के दुकान का अंतिम निरीक्षण दिनांक–15.03.2018 को किया गया था। जो कि सचिव द्वारा किये गये निरीक्षण के 08 (आठ) माह पहले किया गया। साथ ही जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा कराये गये छापेमारी में विभिन्न गोदामों से कालाबाजारी का खाद्यान्न जब्त होने एवं पी०डी०एस विक्रेता के घर के पीछे उनके परिवार द्वारा फेंके गये बोरे में कुल 173 राशन कार्ड पाया जाना जन वितरण प्रणाली के दुकानों के नियमित निरीक्षण का घोर आभाव को स्पष्ट परिलक्षित करता है।

इसके साथ ही आरोपी पदाधिकारीं को निदेशित किये जाने के बावजूद 23 (तेईस) दिनों के बाद अपना कारणपृच्छा का जवाब देना तथा 173 जब्त किये गये राशन कार्ड को रद्द किये जाने के लिए त्वरित कार्रवाई न करने के बिन्दुओं पर विभागीय समीक्षा में यह पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी अपने कार्य के प्रति लापरवाह एवं वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना भी करते रहे हैं।

इन बिन्दुओं पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव में कहा गया कि उनके द्वारा समय–समय पर कई जांच किये गये। उदाहरण स्वरूप माह मई 2018 में कुल–16, माह जुन–2018 में कुल 18 माह जुलाई में कुल–15, माह अगस्त–2018 में 18 माह सितंबर 2018 में 17, माह अक्टूबर–2018 में 16 एवं माह नवंबर–2018 में 18 जांच किया गया। उनकी अनुशंसा पर अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा श्री दीनबंधु तिवारी, पंचायत माणिक चौक दक्षिणी, श्री जितेन्द्र भारती, पंचायत–गाढ़ा, श्रीमती प्रभावती देवी, (पैक्स अध्यक्ष), पंचायत–कौड़िया लालपुर एवं श्री संजय कुमार, पंचायत–मानिक चौक उत्तरी के जन वितरण प्रणाली के दुकान की अनुज्ञापित को रद्द की गयी।

विलम्ब से कारण पृच्छा समर्पित करने के विषय पर बताया गया कि वैधिक कार्यों में व्यस्तता एवं गलती से निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय के दराज में छूट जाने के वजह से ससमय प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया जा सका। जहां तक जब्त 173 राशन कार्ड को रद्द कराने में त्वरित कार्रवाई नहीं करने का प्रश्न है, उनके द्वारा यह बताया गया कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम–2011 के अधीन यह शक्ति अनुमंडल पदाधिकारी को ही प्रदत है। उनके स्तर से वांछित कार्रवाई के विषय में समय–समय पर विभाग से मार्गदर्शन की मांग की गयी थी।

उक्त तथ्यों एवं बचाव पक्ष के अभ्यावेदन में वर्णित तर्क के समीक्षोपरांत यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के निरीक्षण में कमी रही है। अपीलार्थी का कुछ महिनों में किये गये जांच प्रतिवेदन साक्ष्य स्वरूप समर्पित करना एवं यह कहना कि उनके द्वारा समय–समय पर किये गये जांच के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कुछ अनुज्ञप्तियों को रद्द भी किया गया यह साबित नहीं करता कि उनका अपने क्षेत्रान्तर्गत जन वितरण

प्रणाली के विक्रेताओं पर नियंत्रण था। सचिव के जांच में कुछ लाभुकों द्वारा समय पर खाद्यान्न नहीं मिलने की शिकायत करना एवं बोरे में 173 राशन कार्ड विक्रेता के घर के पीछे से बरामद किया जाना इस बात का पुष्टि करता है कि आरोपी पदाधिकारी अपने कार्यों के प्रति लापरवाह रहे हैं।

फलतः खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–4402/खाद्य, पटना दिनांक–21.10.2021 द्वारा अपीलार्थी श्री अजीत कुमार, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, रुन्नीसैदपुर, सीतामढ़ी सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, मशरख, सारण (छपरा) को प्रमाणित आरोप के लिए दो (02) वेतनवृद्धि संचयात्माक प्रभाव से रोके जाने की अधिरोपित एवं संसूचित शास्ति में किसी प्रकार की सम्परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

ह0/–
(अशोक चौधरी)
मंत्री,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
–सह–
अपीलीय प्राधिकार

ह0/–
(अशोक चौधरी)
मंत्री,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
–सह–
अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(सीतामढ़ी)–43/2018– 3959 खाद्य, पटना/दिनांक– 16/07/2026

प्रतिलिपि–

1. जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर एवं आरा सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. अवर सचिव, प्रशाखा–03 एवं आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. श्री अजीत कुमार (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–176/2024), आपूर्ति निरीक्षक, संदेश, भोजपुर), E-Mail ID : ajeet9paswan@gmail.com, Mobile No. 9523387381 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– प्र08–गो0आ0(सीतामढ़ी)–43/2018– 3959 खाद्य, पटना/दिनांक–16/07/2026

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव ।